वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं0 295 / जो0 अ0 दिनांक 30.3.19

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रक्खेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/~~श्री~~श्रीमती धनवन्ती देवी पत्नी स्व० राज बहादुर सिंह श्रीमती कृष्णा सिंह पत्नी ~~पिता/पति का नाम श्री~~ राकेश प्रताप सिंह व अ० आराजी संख्या 497 व 498 मौजा तरना वार्ड शिवपुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

उपाध्यक्ष 15|18 रो० धो० ... विन्यास ... विकास प्राधिकरण, वाराणसी

दिनांक................20

कृते उपाध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1– यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में प्ररिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2– इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3– मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर ....दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4– गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5– प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया ।

6– यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7– यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तेः–

2 .यह कि भविष्य में यदि कोई देयता बनती है तो शपथकर्तागण द्वारा देय होगी।

3 यह कि स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत उपयोग पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा; जिसकी समस्त जिम्मेदारी शपथकर्ता की होगी।

4. यह कि स्थल पर एक बोर्ड लगाया जायेगा; जिस पर स्वीकृति सम्बन्धित विवरण अंकित किया जायेगा।

5. यह कि भूखण्ड पर उपविधि–2.2.3(I) के अनुसार लैण्ड स्केपिंग किया जायेगा।

6. यह कि स्थल पर 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से कुल 19 वृक्ष लगाया जायेगा एवं हरा–भरा रखने की जिम्मेदारी शपथकर्ता की होगी।

7. यह कि रेन वॉटर हारवेस्टिंग का कार्य वाटर ग्राउण्ड बोर्ड के मार्ग–दर्शन पर किया जायेगा; आर्किटेक्ट के द्वारा संतोषजनक उपयोग का प्रमाण पत्र देने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

8. यह कि आन्तरिक विकास शपथकर्ता द्वारा किया जायेगा तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त किया जायेगा।

9. यह कि योजना के प्रवेश पर आवेदक को आवश्यक रोड हेतु दिये गये शपथ पत्र के अनुसार भूमि छोड़ा जायेगा।

10. यह कि भू–स्वामित्व आदि की विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

11. यह कि रो–हाउसिंग में इंगित आवासीय उपयोग के अतिरिक्त रो–हाउस पर भू–स्वामी/शपथकर्ता द्वारा अन्य किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं किया जायेगा।

12. यह कि स्वीकृत रो–हाउसिंग मानचित्र के अनुसार लैण्डस्केप प्लान प्रस्तुत किया जायेगा तथा लैण्डस्केप प्लान के अनुसार ऐसे पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा, जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा कम जल ग्रहण करके भी ग्रीष्म ऋतु हरे–भरे बने रहें। रो–हाउसिंग मानचित्र में प्रस्तावित समस्त मार्गों का निर्माण आई.आर.सी./पी.डब्लू.डी. के मानक के अनुसार निर्माण किया जायेगा तथा योजना की 09 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर अधिकतम 10–10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण किया जायेगा। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइडर फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

13. यह कि रो–हाउसिंग मानचित्र में प्रस्तावित पार्क में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित कुल क्षेत्रफल से 05 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल पर नहीं किया जायेगा तथा फुटपाथ तथा ट्रैक्स यथासम्भव परमिसिबल या सेमी–परमिसिबल परफोरेटेड ब्लॉक्स के प्रयोग से ही बनाया जायेगा।

14. यह कि रो–हाउसिंग सोसायटी में पर्याप्त आकार/संख्या में रेन वॉटर हारवेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जायेगा।

15. यह कि रो–हाउसिंग मानचित्र में प्रस्तावित समस्त मार्गों पर सर्विस/टेलीकॉम डक्ट का निर्माण किया जायेगा।

16. यह कि शेल्टर फीस से प्राप्त धनराशि को प्राधिकरण में पृथक खाते में रखा जायेगा, जिसका प्रयोग निम्न आय वर्ग हेतु भूमि जुटाव के लिए किया जायेगा।

17. यह कि रो–हाउसिंग मानचित्र में प्रस्तावित डुप्लेक्स भवन, ग्रीन एरिया, रेन वाटा हारवेस्टिंग सिस्टम तथा रोड चौड़ीकरण के साथ अन्य समस्त प्रस्तावित विकास कार्य कम्प्लीशन सर्टिफिकेट लिए जाने से पूर्व विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा।

18. यह कि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के पश्चात् विकासकर्ता द्वारा पूर्ण विकसित कालोनी में आर.डब्लू.ए. स्थापित कर वाह्य अवस्थापना सुविधायें स्थानीय निकास को हस्तान्तरित किये जाने का दायित्व विकासकर्ता का होगा।

19. यह कि विकासकर्ता द्वारा रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी (रेरा) में परियोजना का पंजीकरण कराया जायेगा तथा समय–समय पर संशोधित रेरा के समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20. एन.जी.टी. के सम्बन्ध नियमों का पालन करना होगा।